Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
August 2023
ISSN 2229-3388

Durban Conference of Non-Aligned Movement
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का डरबन सम्मेलन

डॉ० विनोद कुमार
सीनियर एकेडमिक रिसर्च, पोस्ट डॉक्टोरेट, पीएच० डी०
एम० फिल० यू० जी० सी० नेट एवं व्याख्याता
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय बहादुरगढ़।

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के डरबन सम्मेलन की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है तथा इस सम्मेलन में भारतीय कूटनीति द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करते हुए विकासशील देशों के विभिन्न मुद्दों को किस प्रकार से रखा गया इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि भारतीय कूटनीतिज्ञों ने डरबन में गम्भीर बौद्धिक और कूटनीतिक प्रयास किया कि भारत अपने परमाणु परिक्षणों के कारण निन्दा का विषय न बने अतः अन्ततः परमाणु परीक्षणों पर भारत को किसी प्रकार की कड़ी आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ा। यह सम्मेलन जब आयोजित हुआ तो वैश्विक स्तर पर अनेक परिवर्तन हो रहे थे शीत युद्ध की समाप्ति के साथ–साथ पूर्वी यूरोप के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह राष्ट्रीयताओं, जातियताओं एवं धार्मिक दृष्टिकोणों को कट्टरता की ओर ले जा रहा था। राष्ट्र–राज्य व्यवस्था का विघटन होता जा रहा था। जातीय, एथनिक तथा सांस्कृतिक टकराव बढ़ रहे थे।

मूल शब्द: राष्ट्र–राज्य, लोकतांत्रिकरण, निरस्त्रीकरण, रंगभेद, मानवाधिकार तथा वैश्विक कूटनीति।

प्रस्तावना

डरबन शिखर सम्मेलन 20वीं सदी का अंतिम सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में भारत ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई तथा शीतयुद्धोत्तर युग में वैश्विक परिदृश्य में उभरते हुए एकध्रुवीयवाद, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विकास, बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर सदस्य राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट कर इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूझाव प्रस्तुत किए। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष तथा विश्व के अन्य देशों के समक्ष उपस्थित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतियों की समीक्षा करते हुए एक न्यायसंगत तथा समतामूलक विश्व व्यवस्था की वकालत की गई ताकि यह आन्दोलन नए संदर्भों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अंतिम घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि वर्षों का अनुभव यह परिलक्षित करता है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अपनी उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के साथ तथा अपनी असफलताओं से प्रेरित होकर, एक नई सहस्राब्दी के महान संगठन के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक दक्षिण तथा अन्य लोकतान्त्रिक देशों के लिए एक दूरदर्शी राष्ट्रों का समूह बनने का प्रयास कर रहा है। इस सम्मेलन से पूर्व भारत द्वारा किए गए परमाणु परिक्षणों ने एशिया में ही नहीं अपितु वैश्विक जगत में व्यापक स्तर पर परिचर्चाओं तथा संगोष्ठियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रारम्भ कर दी थी। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परिक्षणों की प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की महाशक्तियों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया आदि देशों ने कड़ी आलोचना की। इन आलोचनाओं के अतिरिक्त कुछ देशों ने तो भारत पर आर्थिक प्रतिबन्ध भी लगा दिए थे। इस संदर्भ में नई परियोजनाओं के लिए भारत को जो ऋण एवं अनुदान सहायता दी जाती थी उस पर रोक लगा दी गई। इस संपूर्ण घटनाक्रम का प्रभाव इस सम्मेलन के अभिभाषणों और घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से देखा गया। परन्तु भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का हवाला देते हुए इन परिक्षणों को उचित ठहराया। तथा यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यह शोध–पत्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च, वा. I अंक–5, सितम्बर 2016 में भी प्रकाशित है।

डरबन सम्मेलन

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 12वां शिखर सम्मेलन 2 से 4 सितम्बर, 1998 को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी डरबन में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में 114 राष्ट्रों ने भाग लिया। आन्दोलन का 114 वां सदस्य राष्ट्र बेलारूस था। सभी सदस्य राष्ट्रों की सहमति से इसे सदस्यता प्रदान की गई। सम्मेलन में अधिकतर राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री शामिल हुए जिनमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो प्रमुख थे। परन्तु दूसरी तरफ कुछ राष्ट्रों के प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित भी रहे जैसे खाड़ी शासक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बंगलादेश के राष्ट्राध्यक्ष, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आदि।[1] सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला को आन्दोलन का नया अध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन, आत्म–निर्भरता तथा आतंकवाद, राज्यों के बीच विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के प्रश्न और तथाकथित 'मानवीय हस्तक्षेप', दक्षिण एशिया में नाभिकीय परीक्षणों पर चिन्ता, पर्यावरण तथा विकास सम्बन्धित मामले, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई।[2] उपरोक्त सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों का मुल्यांकन करते हुए इस सम्मेलन ने पूरी दुनियां और सदस्य राष्ट्रों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिससे एक नई विश्व–व्यवस्था स्थापित हो सके। सम्मेलन में घोषणा की गई कि मानवता के विकास के लिए 'गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डरबन घोषणा पत्र में कहा गया

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
August 2023
ISSN 2229-3388

कि ' गुटनिरपेक्ष आन्दोलन' अपने 43 वर्षों के खट्टे–मीठे अनुभवों से निरंतर गुजरता हुआ अपने आगोश में ऐसी तमाम उपलब्धियों का इतिहास संजोए हुए हैं जो नई शताब्दी में उन सभी राष्ट्रों के लिए, जिन्होंने प्रजातंत्र एवं मानवीय सिद्धान्तों को अपनाया है, सभी राष्ट्रो के लिए एक शक्ति स्रोत एवं पथ प्रदर्शक है।[3] इसके साथ ही यह भी कहा गया कि शान्तिपूर्ण एवं सुखद विश्व की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में व्याप्त उन सभी बुराइयों जैसे आक्रमण, रंगभेद, बल प्रयोग, एकपक्षीय बाध्यकारी क्रियाकलाप, विदेशी आक्रमण, विश्व शान्ति और न्याय के लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। शिखर सम्मेलन में बदलते हुए विश्व परिदृश्य में सदस्य राष्ट्रों ने अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का आह्वान किया क्योंकि इस धारा में गुटनिरपेक्ष एवं अन्य विकासशील राष्ट्रों की सुरक्षा, स्थायित्व और विकास की समस्याएं व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि सदस्य देशों के बीच हमेशा एकता और सहयोग बना रहना चाहिए ताकि वैश्वीकरण से उत्पन्न हुए अवसरों, चुनौतियों तथा खतरों का कारगर ढ़ंग से मुकाबला किया जा सके।[4]

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षता संभालते ही इसके उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने पहले लिखित भाषण में जम्मू और कश्मीर का उल्लेख करके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भारतीय कूटनीति के समक्ष नई समस्या उत्पन्न कर दी। मंडेला ने कहा कि ''हम सब इस बात के लिए चिन्तित हैं कि जम्मू और कश्मीर मसले का हल शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। इसके लिए हम अर्थात् गुट निरपेक्ष देश अपनी सारी शक्ति लगाने के लिए तैयार हैं।''[5] यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आज तक किसी भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष ने अपने भाषण में जम्मू और कश्मीर का उल्लेख नहीं किया हालांकि पाकिस्तान ने कई बार गुटनिरपेक्ष मंच से जम्मू और कश्मीर का मामला उठाने का विफल प्रयास किया था। मंडेला के कथन का गहरा निहितार्थ था, एक ओर उनका कथन शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान खोजने के भारतीय पक्ष का अनुमोदन करने वाला था, तो दूसरी ओर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करना था। मध्यस्थता की मांग पाकिस्तान करता रहा था परन्तु भारत ने इसे कदापि स्वीकार नही किया।[6] मंडेला का यह वक्तव्य निश्चित रूप से भारत को आहत करने वाला था परन्तु सबसे चौका देने वाली बात यह थी कि मंडेला ने अपने विस्तृत भाषण में जम्मू कश्मीर विवाद को नाईजीरिया, कांगों, सूडान, लीबिया, पश्चिमी सहारा, मध्यपूर्व, क्यूबा, कोरिया और साइप्रस जैसे विवादास्पद मुद्दों की श्रेणी में रखा। इस प्रकार की तुलना निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण थी।[7] प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंडेला द्वारा दिए गए रात्रिभोज के अवसर पर अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका को जम्मू–कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के इतिहास में आज तक कभी भी किसी मेजबान राष्ट्र के अध्यक्ष ने यह मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी गैर जरूरी और अस्वीकार्य है।[8] अगले दिन वाजपेयी ने सदस्य राष्ट्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''...शिमला समझौता, जिसकी भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों ने पुष्टि की है, इन मतभेदों को आपस में शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने की दिशा में एक सर्वमान्य प्रारूप प्रदान करता है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में किसी भी तीसरे पक्ष के शामिल होने की कोई सम्भावना नहीं है, चाहे उनका उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। वहां पर वास्तविक समस्या सीमापार के आतंकवाद की है।''[9] इस संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है जिसे गुटनिरपेक्ष देशों का समर्थन प्राप्त है। यह भारत का अपना घरेलू मामला है और भारत स्वयं ही इसे हल करेगा। किसी भी बाहरी देश की मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। परन्तु बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एमबेकी ने अपना खेद व्यक्त किया और कहा कि इस गलती को सुधार लिया जाएगा। न तो दक्षिण अफ्रीका और न ही गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इच्छा है। मंडेला ने वाजपेयी को इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य भारत को आहत करना नहीं था अपितु उन्होंने तो केवल इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी और यह मामला अलग से नहीं उठाया गया, बल्कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के साथ शामिल था।[10] दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के विशेष संबन्ध होने के कारण विदेश मंत्रालय के अधिकारी नहीं चाहते थे कि कोई कड़ा विरोध प्रकट किया जाए। उनकी रणनीति यह रही कि दक्षिण अफ्रीका को यह अहसास करा दिया जाए कि मंडेला के वक्तव्य से भारत को गहरा दुःख हुआ है। भारत का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के गहरे भावनात्मक रिश्ते रहे हैं। मोहनदास करमचन्द गांधी अफ्रीका की धरती पर तप करके ही बाद में महात्मा गांधी बने थे भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और अश्वेतों के संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेला को हर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर नैतिक समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने मंडेला के अनुयायियों की आर्थिक सहायता भी की। भारत के लिए यह बड़ा ही गर्व का अवसर था कि ' गुटनिरपेक्ष आन्दोलन' के मंच से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरूद्ध वह अपनी बुलंद आवाज में बोल रहा है। भारत की यह अपेक्षा थी कि दक्षिण अफ्रीका भारत की रंगभेद विरोधी भूमिका का उल्लेख करके उसे सम्मान देगा परन्तु इसके विपरीत मंडेला ने भारत को निराश किया।[11]

पूर्ण निरस्त्रीकरण की जरूरत पर बल देते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु आयुद्ध भंडार बरकरार रखने अथवा सैनिक सहयोग के विकास तथा परमाणु प्रतिरोध की नीतियों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की परिकल्पना का कोई औचित्य नहीं रहा है। यद्यपि भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नही की लेकिन उन परीक्षणों के कारण पैदा हुई जटिलताओं का वर्णन करते हुए कहा गया कि दक्षिण एशिया में हुए परमाणु परीक्षणों ने इस आन्दोलन के निरस्त्रीकरण संबन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है और हमारा प्रमुख लक्ष्य परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से नष्ट करना है। इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, परीक्षण, भंडारण, हस्तांतरण, और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को रोका जा सके।[12] इस संबन्ध में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा ''1947 में जब से भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उभरा है, निरस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति का आधार स्तम्भ रहा है। हमारे नेताओं ने इसे ऐसे देश के लिए एक स्वाभाविक मार्ग के रूप में चुना, जहां 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' के आधार पर ही हमने अपने अनूठे स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। उनका कहना था कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व से सभी देशों की सुरक्षा मजबूत होगी। आज भी यह अवधारणा उतनी ही मजबूत है, जितनी 1954 में थी, जब भारत ने परमाणु हथियारों के निषेध और समाप्ति के लिए बातचीत तथा तब तक के लिए 'परमाणु हथियारों के परीक्षणों

पर रोक लगाने के समझौते' का आह्वान किया था। लक्ष्य एक ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का था, जिससे परमाणु हथियारों के लिए अनुसंधान और विकास पर रोक लग जाती; यह लक्ष्य अभी भी हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देता है।''[13]

वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि 1961 में जब गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बाद से इस आन्दोलन की कई उपलब्धियां रही हैं परन्तु विश्वभर में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में हमें अभी निर्णायक कदम उठाना है।[14] व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हमारी स्थिति स्पष्ट है तथा इसका हम स्वागत करते हैं, परन्तु वास्तव में यह संधि परमाणु अप्रसार के उद्देश्य को पूरा नहीं करती। यह संधि परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों के हितों को बढ़ावा देती है अर्थात् उनके एकाधिकार को बनाए रखने में सहायक है। 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा था कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को मानवता के विरूद्ध एक अपराध घोषित किया जाए। इसी प्रकार 1982 में परमाणु हथियारों के प्रयोग को अन्तर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव रखा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में विश्व को परमाणु हथियार मुक्त एवं अहिंसापूर्ण विश्व की स्थापना के लिए सुनियोजित प्रस्ताव रखा था। परन्तु दुर्भाग्य से परमाणु सम्पन्न देशों ने इसे एक काल्पनिक विचार कहकर निरस्त कर दिया।[15] घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान का नाम लिए बिना इस क्षेत्र के परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की उस सकारात्मक प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया गया जिसके अनुसार ये देश आत्मसंयम बरतेंगे और परमाणु हथियार सम्बन्धी सामग्री का हस्तांतरण नहीं करेंगे। अपने परमाणु परिक्षणों को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि ''भारत ने हाल के परमाणु परीक्षण एक ऐसे भौगोलिक व राजनैतिक परिवेश में किए जहां हमारी सुरक्षा को खतरा था और यह खतरा हमारे आस–पास के लुके–छिपे अथवा खुलेआम परमाणुकरण से और भी गंभीर हो गया था। वैसे हम पहले की तरह आज भी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमाणु हथियार हमेशा ही बने रहेंगे। इसके विपरीत, यदि स्थापित परमाणु हथियार सम्पन्न देश परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएं तो हम इनमें शामिल होने वालों में सर्वप्रथम होंगे। आज मैं उनसे आग्रह करता हूं जैसा कि भारत उनसे कई बार पहले भी अनुरोध कर चुका है कि आइए, हमारे साथ गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से मिलकर एक परमाणु हथियार संधि करें जिसके माध्यम से जनसंहार के हथियारों की इस अन्तिम श्रेणी को हम समाप्त कर दें। आज यह आन्दोलन अपनी चिरकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक आह्वान कर रहा है। आइए, हम वचन लें कि 2001 में हम जब अगले शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हों, तो हम एक ऐसे सामूहिक निर्णय का स्वागत कर सकें ताकि नई सहस्त्राब्दी में परमाणु हथियारों का कोई खतरा मौजूद नहीं हो।''[16] अतः भारत का मानना है कि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी परमाणु नीति का संचालन करता है तथा भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत अब एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है और भारत अब अपना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा तथा भविष्य में एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति की भूमिका अदा करेगा।[17]

वैश्विक जगत में शांति और सूरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की चर्चा भी की गई। सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी सुधार सम्बंधी प्रयास इस संगठन को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए ताकि विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। सुधार सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव जो महासभा को महत्वहीन बनाए, वह स्वीकार्य नहीं होगा। भारत ने सम्मेलन में इस विषय पर विचार रखते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद का गठन पूर्ण रूप से अभेदभावपूर्ण व वैश्विक होना चाहिए। इस परिषद की शक्तियों में वृद्धि के लिए इसके कार्यों में स्पष्टता एवं लोकतान्त्रिकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और ऐसा परिषद की सदस्यता को बढ़ाए बिना संभव नहीं है। गुटनिरपेक्ष एवं विकासशील देशों को प्रायः परिषद की कार्यवाहियों का निशाना बनना पड़ रहा है। परिषद में निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका समानता के आधार पर होनी चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतान्त्रिकरण का पक्षधर रहा है ताकि यह अधिक पारदर्शी, प्रतिनिध्यात्मक और अधिक व्यापक आधार वाली संस्था बन सके। भारत, जर्मनी, जापान, नाइजीरिया, मिश्र आदि देशों को भी सुरक्षा परिषद में स्थान मिलना चाहिए जो अपने लोकतान्त्रिक, आर्थिक एवं तकनीकी महत्व के कारण ऐसी सदस्यता के उचित अधिकारी हैं।[18]

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक मुद्दों की अपेक्षा आर्थिक सहयोग करने पर जोर दिया। विश्व अर्थव्यवस्था में आये बदलाव को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्र प्रमुखों ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि विकासशील और विकसित राष्ट्रों के मध्य असंतुलन को समाप्त करने के लिए एक उनमुक्त, नियमबद्ध, उत्तरदायी, भविष्योन्मुखी, न्यायसंगत, विस्तृत, विकास आधारित तथा गैर–भेदभावपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो और इस बात पर भी बल दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन को बहुपक्षीय मसौदा तैयार करते समय विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि इनकी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। घोषणा पत्र में यह आग्रह भी किया गया है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।[19] विकास के इस मसौदे को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी राष्ट्र प्रमुखों ने तीव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता को रेखांकित किया। सदस्य राष्ट्रों ने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए इस क्षेत्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया जिससे वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण एवं बहुआयामी बनाया जा सके। इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य गरीब राष्ट्रों की सहायता करना था ताकि वे भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल होकर प्रतियोगी बन सकें और इससे लाभान्वित हो सकें।[20] सम्मेलन में आए सभी नेताओं ने आग्रह किया कि वे साथ मिलकर काम करें ताकि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं की रूपरेखा का विस्तार किया जा सके जिसके कारण विकासशील देश निरंतर चिन्तित रहे हैं। इस प्रकार उन्हें व्यापारिक वार्ताओं में आगे आने का एक अवसर मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन को स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदण्डों पर आधारित एक उन्मुक्त, भविष्योन्मुखी न्यायसंगत, गैर–भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को बढ़ावा देना चाहिए।[21] भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ''आज विकसित देशों के बाजारों में संरक्षणवाद फिर से लौट आया है, व्यापार और निवेश का प्रयोग श्रम मानकों, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, मानवाधिकारों और पर्यावरण के मामलों में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। कुछ विकासशील देशों की हाल की सफलताओं के विरूद्ध ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं।

Anusandhanvallari
Vol 2023, No.1
August 2023
ISSN 2229-3388

हमारे आन्दोलन के ये सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय अग्रजो के रूप में उभरे हैं, परन्तु दूसरे देशों को विश्वव्यापीकरण ने न केवल हांशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है अपितु उनके समाजों की स्थिरता को ही खतरा उत्पन्न हो गया है .... आर्थिक संकटों से राजनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं तथा ये हमारे देशों के सामाजिक ताने–बाने को तार–तार कर देते हैं। पूर्वी एशिया में जो संकट शुरू हुआ था, वह वहीं समाप्त नहीं हो जाएगा, हम सब इससे प्रभावित होंगे। इसलिए हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी, जिसके माध्यम से गुटनिरपेक्ष देश आज के इन संवेदनशील आर्थिक मुद्दों पर निरंतर काम कर सकें।''[22]

शिखर सम्मेलन में पर्यावरण विषय पर भी बातचीत की गई। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में संलग्न उन सभी अन्तर्राज्यीय और अन्य संस्थाओं का आह्वान किया गया कि इस प्रकार की गतिविधियों के सक्रिय संचालन के लिए तन–मन व धन से सहयोग दें। सदस्य राष्ट्रों ने क्योटो संधि का भी स्वागत किया ताकि जलवायु परिवर्तन के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। उन्होंने विकसित राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस संधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दें।[23] एक अन्य पहलू जिस पर सम्मेलन में सहयोग स्थापित करने का आह्वान किया गया वह था दक्षिण–दक्षिण सहयोग। सदस्य राष्ट्रों ने विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ रहे नए आर्थिक सहयोग और पूंजी निवेश तथा संस्थागत प्रबन्धनों को देखते हुए इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहयोग' स्थापित करने का गतिशील प्रतिमान या अभिन्न भाग होना चाहिए ताकि उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों की न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम बन सके। उन्होंने कहा कि भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरण के बढ़ते हुए दायरे को देखते हुए इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पहले की अपेक्षा वर्तमान में अधिक है। आज विकासशील देशों के मध्य सहयोग और अनुभवों के आधार पर द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तः क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग को पारस्परिक विकास अनुभवों, तकनीकों के स्थानान्तरण के माध्यम से विकसित होना चाहिए, ताकि गुटनिरपेक्ष देशों को अधिक लाभ हो।[24]

राष्ट्र प्रमुखों ने मानवीय अधिकारों की वैश्विक घोषणा पत्र की पचासवीं वर्षगांठ के महत्व को रेखांकित किया और मानवीय अधिकारों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के मुद्दों और विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया। अन्तिम घोषणा पत्र में इस बात का आग्रह किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरे विश्व में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकरों की रक्षा करते हुए उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सभी राष्ट्रों का यह कर्त्तव्य है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों से संबन्धित प्रावधानों के अनुसार सभी व्यक्तियों की मौलिक स्वतन्त्रता एवं मानवीय अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।[25] उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि मानवाधिकरों के वैश्विक घोषणा–पत्र की पचासवीं वर्षगांठ को मनाने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि मानवाधिकरों के निरंतर क्रियान्वयन और सुरक्षा के लिए वियना घोषणा पत्र की समीक्षा की जाए। इसके लिए सभी राष्ट्रों से सहयोग करने के लिए कहा गया। इस संदर्भ में मानवाधिकारों के उच्चायुक्त कार्यालय और गुटनिरपेक्ष देशों की समन्वय संस्था के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ावा दिया जाए जिससे उनके कार्यात्मक संबन्ध मजबूत हों। उन्होंने महासभा द्वारा पारित 52/136 प्रस्ताव तथा आयोग द्वारा पारित प्रस्ताव 1998/72 का स्वागत किया और कहा कि लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान तथा मौलिक स्वतंत्रता के विकास का अधिकार आदि पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। सदस्य राष्ट्रों ने इस बात पर विरोध जताया कि किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा थोपे गए प्रतिबन्धों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रायः ऐसा कई बार हुआ है जिससे ये शक्तिशाली राष्ट्र मानवीय अधिकारों के बहाने प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।[26] इस संदर्भ में वाजपेयी ने कहा कि ''हमारे लिए विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य अपने नागरिकों को फिर से ऐसे मानवाधिकार दिलाना है जिन्हें उपनिवेशवाद ने रौंद डाला था। गरीबी, सामाजिक पिछडापन, जातीय व अन्य प्रकार के भेदभावों से इन अधिकारों को अभी भी खतरा बना हुआ है। विडम्बना यह है कि कभी–कभी गुटनिरपेक्ष देश भी मानवाधिकारों के मामले में रक्षात्मक मुद्रा में दिखते हैं। शायद ऐसा इसलिए है कि हम ऐसे आंशिक स्वार्थी दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो इन अधिकारों की, विशेषकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पूर्णरूपेण प्राप्ति के लिए जरूरी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों और कर्त्तव्यों की अनदेखी करते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के इस 50वें वर्ष में यह जरूरी है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन सहयोग के परस्पर संबन्धों को गहराई से समझने की दिशा में कार्य करें।''[27] आतंकवाद के मुद्दे पर सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आतंकवाद मानवता एवं मानवीय मूल्यों पर गहरा आघात है। यह विभिन्न देशों की एकता और अखण्डता को खतरे में डाल रहा है। आतंकवाद, खासकर उन देशों में जहां बहुलवादी समाज हैं, सामान्य जनजीवन को ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त यहां पर वैधानिक रूप से गठित सरकारों को भी प्रभावित करता है। अतः इसकी समाप्ति के लिए सभी देशों को संयुक्त प्रयास करने होंगे। सभी राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने–अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के साथ–साथ प्रत्यारोपण संधियों को कारगर बनाने में भी सहायता करनी चाहिए ताकि जो बाहरी देश इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं उन पर अकुंश लगाया जा सके।[28]

सम्मेलन में विकासशील देशों पर एकपक्षीय कार्यवाही की कड़ी आलोचना की गई। सदस्य राष्ट्रों ने अमेरिका द्वारा सूडान और अफगानिस्तान पर दागे गए मिसाइलों को उचित नहीं माना। डरबन के इस मंच से सभी राष्ट्रों ने सहमति जताई कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला विश्व के सामूहिक प्रयासों द्वारा होना चाहिए न कि कुछ देशों द्वारा मिसाइलें दाग कर। अतः इस प्रकार की एकतरफा कार्यवाही का विरोध करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यू.एन. चार्टर के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए। मिश्र ने इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की देख–रेख में एक विश्व समिति बनाई जाए जो पूरे विश्व में फैल रही आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा सके।[29] इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को भी परिभाषित किया जा सके जिससे राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष और आतंकवाद में स्पष्ट अन्तर किया जा सके। सम्मेलन में भारत ने प्रायोजित आतंकवाद के विरूद्ध एक समन्वित योजना, सम्मेलन की राजनीतिक मामलों की

समिति के समक्ष प्रस्तुत की। इस योजना को पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अन्य देशों का व्यापक समर्थन मिला। भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दिलीप लाहरी ने कहा कि ''भारत सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। इसलिए वह चाहता है कि आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष चलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से कार्यवाही शुरू की जाए।''[30] वाजपेयी ने कहा कि ''आतंकवाद मानवता और सभ्य समाजों के जीवन–मूल्यों पर सीधा प्रहार है। यदि हम गांधी जी के दर्शन का सम्मान करते हैं तो गुटनिरपेक्ष देशों को नैतिकता के खोखले दावों को अस्वीकार कर देना चाहिए। यह एकपक्षीय कार्यवाही से संभव नहीं हो सकता है बल्कि इसके लिए सामूहिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने होंगे।''[31] उन्होंने आगे कहा कि ''निर्धनता एक सच्चाई है, भेदभाव वास्तविकता है, हिंसा सत्य है, ये ऐसी वास्तविकताएं हैं जो हमारे नागरिकों की जान ले रही हैं। आन्दोलन को इन वास्तविकताओं से लड़ना होगा और परिभाषाओं पर अनुपयोगी बहस में उलझकर नहीं रह जाना है।''[32] अतः भारत ने आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनभावना पैदा करने की प्रार्थना की क्योंकि भारत का मानना है कि इससे विभिन्न देशों की प्रभुसत्ता को खतरा पैदा हो गया है।

निष्कर्ष : इस संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि डरबन शिखर सम्मेलन से आन्दोलन को एक नई दिशा मिली। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को औचित्यपूर्ण ठहराने में सफल रहा। डरबन के इस मंच से अनेक पहलुओं पर चर्चा की गई जैसे आतंकवाद, मानवाधिकार, निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग, दक्षिण–दक्षिण संवाद, पर्यावरण, शान्ति तथा विकास आदि। भारत ने सफलतापूर्वक इन विषयों के प्रति सदस्य राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट किया और हाल ही के अपने परमाणु परिक्षणों को औचित्यपूर्ण ठहराने में कामयाब रहा। भारत ने इस मंच से यह संदेश जारी किया कि उनका परमाणु परीक्षण परमाणु हथियार रखने वाले देशों को यह बताने के लिए था कि यदि कुछ देश परमाणु हथियार रखने का एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं तो एक स्वतंत्र विदेश व सामरिक नीति पर चलने वाला भारत इस एकाधिकार को तोड़ेगा और स्वयं परमाणु शक्ति हासिल कर संसार से कहेगा कि यदि सभी देश परमाणु हथियारों का उन्मूलन करने के लिए तैयार हो जाएं तो भारत भी अपने इक्के–दुक्के परमाणु हथियारों को समाप्त कर देगा। यह भारत की कूटनीतिक सफलता का परिचायक रहा। हालांकि सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों को इस बात का पूर्ण आभास था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का दावा मजबूत करने के लिए परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है लेकिन यह उम्मीद बेकार साबित हुई। भारत को यह जताने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया था। उनका असर परमाणु मुद्दे पर हुए भाषणों से जाहिर था। परन्तु भारतीय पक्ष ने संघर्ष किया तथा वाजपेयी ने पूर्णाधिवेशन में अपने भाषण का तिहाई हिस्सा परमाणु मुद्दे पर भारतीय रुख को स्पष्ट करने में दिया। परन्तु इसे भारतीय कूटनीति की विडंम्बना ही कहा जाएगा कि जिस दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद की समाप्ति के लिए भारत ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, जिस मंडेला को भारत ने अपने बापू का सच्चा उत्तराधिकारी मानकर सम्मान दिया उसी मंडेला ने गुटनिरपेक्ष मंच से कश्मीर संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की। निश्चित रूप से भारत के लिए यह एक चौका देने वाला विषय रहा और दक्षिण अफ्रीका के प्रति भारत का आक्रोश स्वाभाविक था। हालांकि मंडेला ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे भारत का सीधा–सीधा विरोध झलकता हो, परन्तु फिर भी कश्मीर मसले को गुटनिरपेक्ष मंच से उठा देना ही अपने आप में भारत के विरोध में चला जाता है। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों की यह परम्परा रही है कि उसके मंच से कभी भी द्विपक्षीय मामले नहीं उठाए जाते। यद्यपि बाद में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इस पर खेद व्यक्त किया।

संदर्भ

1. एस॰बी॰ जैन, ***इंडिया'ज फॉरेन पॉलिसी एण्ड नॉन–अलाइनमेंट,*** अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृ॰ 299.
2. विदेश मंत्रालय, ***भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट : 1990–2000***, नई दिल्ली, 2000, पृ॰ 73.
3. ए॰एस॰ नारंग, ''टुवेल्थ–नैम सम्मिट् : डिक्लेरेशन टू द न्यू मिलेनियम,'' ***न्यूज फ्रॉम नॉन–अलाईन्ड वर्ल्ड,*** वॉ॰ 19, नं॰ 48, 29 सितम्बर, 1998, पृ॰ 1.
4. वही.
5. जानकी बहादुर कृमर और पाण्डेय हार्पर, ''नेल्सन्स रोविंग आई'' ***आऊटलुक***, वॉ॰, 18 नं॰ 20, सितम्बर, 1998, पृ॰ 44.
6. मधुसूदन आनंद, ''कश्मीर मुद्दे पर मंडेला के सुझाव से नई मुसीबत,'' ***नवभारत टाइम्स***, नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1998.
7. संपादकीय ''डरबन शिखर सम्मेलन और भारत,'' ***नवभारत टाइम्स***, नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1998.
8. जॉन चेरियन, ''हैन्डलिंग सेन्सटिव इश्यूज,'' ***फ्रन्टलाइन***, वॉ॰ 15, नं॰ 19, सितम्बर, 1998, पृ॰ 31.
9. हरिशरण छाबड़ा, ''इंडिया फाइट बैक रिकार्ड सक्सेम,'' ***मेनस्ट्रीम***, वॉ॰ XXXVI, नं॰ 38, सितम्बर, 1998, पृ॰ 4.
10. मधुसूदन आनंद, ''दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने वाजपेयी से क्षमा मांगी,'' ***नवभारत टाइम्स***, नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1998.

11. मधुसूदन आनंद, ''कश्मीर मुद्दे पर तीसरे देश का दखल मंजूर नही,'' ***नवभारत टाइम्स***, नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1998.

12. जी॰एन॰ श्रीवास्तव, ''डरबन नैम समिट् एण्ड आफ्टर,'' ***इंडियन अफ्रीकनिस्ट***, वा॰ 1, नं॰ 3–4, जुलाई–दिसम्बर 1998, पृ॰ 30.

13. अटल बिहारी वाजपेयी, ***चुने हुए भाषण***, खण्ड–1 (मार्च 1998 से 10 मार्च 1999 तक), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2000, पृ॰ 345.

14. कोमी कपूर, ''विक्ट्री फॉर इंडिया एट नैम ऑन डिस्आर्मामेंट'' ***इंडियन एक्सप्रैस***, नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1998.

15. ***एशियन रिकार्डर***, वा॰ XXXXIV, नं॰ 40, 1–7 अक्टूबर, 1998, पृ॰ 27629–30.

16. चुने हुए भाषण, ***संख्या,*** 13, पृ॰ 348.

17. सी॰ राजा मोहन, ''बियोन्ड द डरबन समिट्'' ***द हिन्दू***, नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998.

18. हरिशरण छाबड़ा, ''नैम समिट्: यूनिटी ऑफ परपज'' ***नेशनल हैरल्ड***, नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1998.

19. केटो लेम्ब्रेचट्स, ''द नान–अलाईड मूवमैंट एण्ड सिविल सोसाइटी'', ***थर्ड वर्ल्ड रिसरजैन्स***, नं॰ 98, अक्टूबर, 1998, पृ॰ 38–39.

20. हरिशरण छाबड़ा, ''इंडिया एण्ड नैम,'' ***वर्ल्ड फोकस***, वॉ॰ 19, नं॰ 10–11–12, अक्टूबर–नवम्बर–दिसम्बर, 1998 पृ॰ 32.

21. नारंग, ***संख्या*** 3, पृ॰ 3.

22. चुने हुए भाषण, ***संख्या*** 13, पृ॰ 349–50.

23. नारंग, ***संख्या*** 3, पृ॰ 4.

24. टुवैल्थ समिट् कॉनफ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द नॉन–अलाईड मूवमेंट–डरबन 1998, ***बेसिक डाक्यूमेंट***, 29 अगस्त टू 3 सितम्बर 1998, साऊथ अफ्रीका, चैपटर III: इकनॉमिक इश्यूज, साऊथ– साऊथ को–ऑपरेशन, पृ॰ 134–35.

25. वही॰, चैप्टर IV: सोशल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, पृ॰ 156–57.

26. सूर्य नारायण यादव, नॉन–अलाईड मूवमैंट एण्ड ह्यूमन राइट्सः ए न्यू ऐजेण्डा फॉर द ट्वेन्टी–फर्स्ट सेन्चुरी'' ***इंडियन अफ्रिकनिस्ट***, वॉ॰ 1, नं॰ 3–4, जुलाई–दिसम्बर, 1998, पृ॰ 24.

27. चुने हुए भाषण, ***संख्या*** 13 पृ॰ 352.

28. डाक्यूमेंट, ***संख्या*** 24, चैप्टर 1 ग्लोबल इश्यूज–टेरेरिज्म, पृ॰ 59–60.

29. जॉन चेरियन, ''न्यू मोमेन्टम फॉर नैम,'' ***फ्रन्टलाईन,*** वॉ॰ 15, नं॰ 19, 25 दिसम्बर, 1998, पृ॰ 29.

30. ***नवभारत टाइम्स***, नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1998.

31. चुने हुए भाषण, ***संख्या*** 13 पृ॰ 352.

32. वही, पृ॰ 353 तथा संपादकीय "मंडेला उवाच," ***नवभारत टाइम्स***, नई दिल्ली, 4 सितम्बर 1998.